ं_{विजनेस} पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण होतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ होतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 10-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2015— आषाढ 30, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्रमांक 6922/डी. 226/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-09 -2013 को गञ्जपाल एवं दिनांक 13-07-2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 25 सन् 2015)

दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वण्ड संहिता, 1860 (1860) का 45), वण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारां निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-एक प्रारंभिक

होक्षिप्त नाम तथा 1.

प्राप्त.

- (1) यह अधिनियम दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अध्याय-दो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का संशोधन

धारा 211 में परन्तुक का व इंतःस्थापन. भारतीय दण्ड संहिता 1860 (जो इसमें इसके पश्चात् दण्ड संहिता के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 211 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

परन्तु यह कि, यदि ऐसी वंडिक कार्यवाही धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354म, धारा 354घ, धारा 354ड, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376च, धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख, से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा.

धार 354 में परन्तुक का इंत:स्थापन, दण्ड संहिता की धारा 354 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

परन्तु यह कि जहां इस धारा के अंतर्गत अपराध किसी रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जिसका पीड़ित व्यक्ति से विश्वास आश्रित या प्राधिकारवान संबंध हों, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अविध दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जायेगा.

नवीन घारा 354 ङ का बंद:स्थापन दण्ड संहिता की धारा 354 घ के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

354 ख. धारा 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ के अंतर्गत अपराध कारित होने से रोकने में विफल रहने वाले व्यक्ति का वायित्व. —जो कोई, धारा 354, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग या धारा 354 घ का अपराध कारित होते समय उपिश्यत रहता है और ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने की स्थिति धारा 354 घ का अपराध को कारित होने से रोकने में विफल रहता है या यिव वह अपराध को कारित होने से रोकने में होते हुए भी ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने में विफल रहता है या यिव वह अपराध को कारित होने से रोकने की स्थिति में नहीं है तो अपराध को वैध वण्ड से बचाने के आशय से ऐसे किसी अपराध के कारित होने की सूचना की स्थिति में नहीं है तो अपराध के वुग्नेरण किसी भी तरीके से निकटस्थ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को वेने में विफल रहता है तो वह ऐसे अपराध के वुग्नेरण किसी भी तरीके से निकटस्थ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को बने में विफल रहता है तो वह ऐसे अपराध के वुग्नेरण किसी भी तरीके से निकटस्थ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को बने में विफल रहता है तो वह ऐसे अपराध के युग्नेरण के लिए वायी होते हुए दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से विण्डत किया जाएगा.

दण्ड संहिता की धारा 376ङ के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

नवीन धारा 376च का अंत:स्थापन.

376च. कार्यस्थल के भारसाधक व्यक्ति एवं अन्य का अपराध की सूचना देने का दायित्व.- जो कोई, किसी कार्यस्थल का भारसाधक व्यक्ति होते हुए या ऐसे स्थल में उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति, जिसे यह झान हो कि धारा 376 या धारा 376घ के अधीन कोई अपराध ऐसे स्थल पर कारित हो रहा है तथा ऐसे किसी अपराध को कारित होने से रोकने में अथवा अपराधी को वैध दण्ड से बचाने के आशय से ऐसे किसी अपराध के कारित होने की सूचना किसी भी तरीके से किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देने में विफल रहता है, वह ऐसे अपराध के दुण्प्रेरण के लिए दायी होते हुए दोनों में से किसी भी मांति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो संकेगी एवं जुमनि के लिए दायी होगा और ऐसे व्यक्ति का, ऐसी सूचना देने पर, कोई दायित्व उपगत नहीं होगा.

स्पष्टीकरण- कार्यस्थल में सम्मिलित है, स्त्री जिसके प्रति ऐसा अपराध कारित हुआ है, को कार्यस्थल से उसके निवास एवं निवास से कार्यस्थल तक आवागमन के लिए कार्यस्थल के भारसाधक व्यक्ति के स्वामित्व का, किराये पर या अन्यथा संलग्न परिवहन का कोई साधन.

दण्ड संहिता की धारा 509 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

नवीन धारा 509क एवं 509ख का अंत:स्थापन.

509क. नातेदार द्वारा यौन उत्पीड़न.- जो कोई, स्त्री से रक्त, दत्तक या विवाह के माध्यम से संबंधित होते हुए, तथा उसका पित न होते हुए, राब्द, अंगविक्षेप अथवा कार्य द्वारा उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से अपनी निकटता का लाभ उठाता है, और ऐसी स्त्री को उत्प्रेरित करता है, विलुब्ध करता है या धमकी देता है, वह कठोर कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दिण्डत किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

509ख. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न.- जो कोई, उत्पीड़न करने के आशय से या इस बात का झान होते हुए कि उससे स्त्री को उत्पीड़न होगा या क्षोभ या मानसिक पीड़ा कारित होगी, दूरसंचार यंत्र द्वारा या इंटरनेट को सिम्मिलित करते हुए किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव, छिव बनाता है, सृजित करता है, याचना करता है या उसके पारेषण (संचरण) को प्रारंभ करता है या अन्य संचरण जो कि अस्तील, कामुक, वासनामूलक, गंदा या अभद्र हो, वह कठोर कारावास से दिण्डत होगा जिसकी अविध छ: माह से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

अध्याय-तीन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

7.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (जो इसमें इसके पश्चात् संहिता के रूप में निर्दिष्ट हैं) की धारा 154 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक में, शब्द एवं अंक "या धारा 509" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा विरामचिन्ह ",धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 154 का संशोधन.

संहिता की धारा 161 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक के स्थान पर, निम्नितिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

धारा 161 में परन्तुक का प्रतिस्थापन.

परंतु यह और कि स्त्री का कथन, जिसके विख्ज भारतीय वण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ख, धारा 354ख, धारा 356ख, धारा 376ख, धारा 509क या धारा 509ख के अधीन अपराध कारित किये जाने या अपराध करने का प्रयास किये जाने का आरोप है, यथा संभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा तथा यथासंभव, ऑडियो-विडियो साधनों द्वारा भी रिकार्ड किया जाएगा और ऐसे पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाये जो स्त्री की पहचान की सुरक्षा हेतु आवश्यक हों.

- धारा 164 का संशोधन. 9. संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5क) के खण्ड (क) में, अंकों एवं शब्दों "या धारा 509" के स्थान पर विरामचिन्ह, शब्दों एवं अंकों ",धारा 376च, धारा 509, धारा 509क या धारा 509खं" प्रतिस्थापित किया जाए.
- श्वारा 164क का 10. संहिता की धारा 164क में, स्पष्टीकरण खण्ड को छोड़कर, जहां शब्द "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" प्रथम बार आया हो के स्थान पर, शब्द "महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" प्रतिस्थापित किया जाए.
- सारा 309 का संशोधन. 11. संहिता की धारा 309 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, शब्द और अंक "धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376म या धारा 376घ" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं अक्षर "धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354म, धारा 354घ, धारा 354ड, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376न, धारा 376च, धारा 376च, धारा 376च, धारा 509क या धार 509क या धारा 509क या धारा 509क या धारा 509क या धारा 509क या धार 509क या धारा 509क या धारा 509क या धारा 509क या धारा 509क या धार 509क या धार
- भारा 327 का संशोधन. 12. संहिता की धारा 327 की उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन अपराध" के स्थान पर, शब्द, अंक, अक्षर और विरामचिन्ह ",स्त्री के यौन उत्पीड़न, उसके लज्जा भंग करने या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 354छ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376च, धारा 376च, धारा 376च, धारा 509क या धारा 509ख के अधीन अपराध" प्रतिस्थापित किया जाए.
- प्रथम अनुसूची का 13. संहिता की प्रथम अनुसूची में, शीर्षक "।-भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध" के अंतर्गत-

(क) धारा 211 से संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या	जमानतीय या	किस
			असंज्ञेय	अजमानतीय	न्यायालय
					द्वारा
2.75	and the second			12 de	विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	यदि आरोपित	कारावास जो	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग
	अपराध धारा	3 वर्ष से कम			मजिस्ट्रेट
	354, 354क,	नहीं होगा किंतु			•
	354ख, 354ग,	जो 5 वर्ष तक			
	354ঘ, 354ভ,	का हो सकेगा			
	376ख, 376ग,	और जुर्माना.			
	376च, 509,				
	509क या 509ख				
	से वंडनीय है.				

(ख) धारा 354 से संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय
					द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	यदि स्त्री के नातेदार द्वारा	कारावास जो 2 वर्ष से कम	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कारित किया गया है.	नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक तक का हो सकेगा और	And the state of t		
		जुर्माना, ———————————————————————————————————		and the second second second second	weinen ung sehen und der eine
(ম)	धारा 354घ से संबंधित	न प्रविष्टियों के पश्चात्,	निम्नलिखित अंत	त:स्थापित किया जाए	!, अर्थात् :-
धारा	अपराध	दण्ड	संझेय या असंझेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3548	उपस्थित व्यक्ति जो धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ के अधीन अपराध	3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों.	संझेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	कारित होने से रोकने में विफल रहता हैं, का दायित्व.				
(घ)	धारा 376ड से संबंधि	त प्रविष्टियों के पश्चात्,	निम्नलिखित अंत	त:स्थापित किया जाए	, अर्थात् :-
धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
376च.	किसी कार्य स्थल के भारसाधक व्यक्ति एवं अन्य का अपराध की सूचना देने का दायित्व,	3 व्रर्ष तक कारावास और जुर्माना.	संद्गेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

(ভ)	धारा 509 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-							
धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	विचारणीय है (6)			
509क	नातेदार द्वारा यौन उत्पीड़न.	कठोर कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संझेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट			
509ख	इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न.	कठोर कारावास जो 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट			

अध्याय-चार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

नवीन धारा 114ख का 14. बंद:स्थापन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

114ख. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354म, धारा 354घ, धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख के अधीन कारित अपराधों के संबंध में उपधारणा.-जब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354घ, धारा 354घ, धारा 509क या धारा 509ख के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और यदि पीड़ित, न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ या उसकी लज्जा भंग हुई अथवा उसके कपड़े उतारे गए अथवा उसका पीछा किया गया या उसकी निजता में हस्तक्षेप किया गया अथवा वह किन्ही साधनों द्वारा यौन उत्पीड़ित की गई, यथास्थिति, वहां न्यायालय, जब तक कि विपरीत साबित न हो, तब तक यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्रमांक 6922/डी. 226/21-अ/प्रारू./छ.ग./15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-07-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 25 of 2015)

THE CRIMINAL LAW (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I Preliminary

(I) This Act may be called the Criminal Law (Chhattisgarh Amendment) Act, 2013.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

CHAPTER-II Amendment of the Indian Penal Code, 1860

2

3.

In Section 211 of the Indian Penal Code, 1860 (here-in-after referred to as the Penal Code), the following proviso shall be inserted, namely:-

Insertion of proviso to Section 211.

Provided that, if such criminal proceeding be instituted on a false charge, of an offence punishable under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354B, section 354E, section 376B, section 376C, section 376F, section 509, section 509A or section 509B shall be punishable with imprisonment of either description which shall not be less than three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

In Section 354 of the Penal Code, the following proviso shall be inserted, namely:-

Insertion of proviso to Section 354.

Provided that where offence is committed, under this Section by a relative, guardian or teacher or a person in a position of trust or authority towards the person assaulted, he shall be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Insertion of new Section 354E. 4. After Section 354D of the Penal Code, the following shall be inserted, namely:-

354E. Liability person present who fails to prevent the commission of offence under Section 354, 354A, 354B, 354C, 354D. Whoever, being present at the time of commission of an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C or section 354D and being able to prevent such offence, fails to prevent the commission of such offence or not being in position to prevent the commission of such offence, fails to give information of the commission of such offence to the nearest magistrate or police officer, by any mode, with the intention of screening the offender from legal punishment, shall be liable for abetment of such offence and shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or with both.

Insertion of new Section 376F.

5. After Section 376E of the Penal Code, the following shall be inserted, namely:-

376F. Liability of person in-charge of workplace and others to give information about offence.- Whoever, being person in-charge of any work place or any other person present at such place, having knowledge that an offence under section 376 or section 376D, is being committed at such place and being in a position to prevent commission of such offence fails so, to prevent such offence or to give information of the commission of such offence, to any magistrate or police officer, by any mode, with the intention of screening the offender from legal punishment, shall be liable to be punished for abetment of such offence with imprisonment of either description which may extend to three years and fine and no such person shall incur any liability for giving such information.

Explanation: Work-place includes any mode of transport owned, hired or otherwise engaged by the person in-charge of the work place for the conveyance of the woman, who was subjected to such offence, to and from her residence to such work-place.

Insertion of new Section 509A and 509B.

6.

After Section 509 of the Penal Code, the following shall be inserted, namely :-

509A. Sexual harassment by realtive.- Whoever, being related to a woman through blood, adoption or marrige, and not being her husband, takes the advantage of his proximity and induces, seduces or threatens such woman with intent to insult her modesty by word, gesture or act shall be punished with rigorous imprisonment which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

509B. Sexual harassment by electronic modes. Whoever, by means of telecommunication device or by any other electronic mode including internet, makes, creates, solicits or initiates the transmission of any comment, request, suggestion, proposal, image or other communication, which is obscene, lewd, lascivious, filthy or indecent with intent to harass or cause or having knowledge that it would harass or cause annoyance or mental agony to a woman shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to two years and shall also be liable to fine.

CHAPTER-III Amendment of the Code of Criminal Procedure, 1973

Amendment of 7.

In first proviso to sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure (here-in-after referred to as the Code) for the words and figure "or section 509" the words, figures, letters and punctuations "section 509, section 509A or section 509B" shall be substituted.

Th second proviso to sub-section (3) of section 161 of the Code, shall be substituted with the following proviso, namely:-

Substitution of proviso to Section 161.

Provided further that statement of the woman against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 354E, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E, section 509, section 509A or section 509B of the Indian Penal Code, is alleged to have been committed or attempted, shall be recorded, as far as possible, by woman police officer and shall also be recorded by audio-video means, as far as possible, and it shall be the duty of such police officer to take all such steps as are necessary to protect the identity of the woman.

Amendment of Section 164.

In clause (a) of sub-section (5A) of Section 164 of the Code, for the words and figures "or section 509" the punctuation, words and figures ", section 376F, section 509, section 509A or section 509B" shall be substituted.

Amendment of Section 164A.

In Section 164A, except explanation clause, of the Code, for the words "registered medical practitioner", where it occurs for the first time, the words "female registered medical practitioner" shall be substituted.

Amendment of Section 309.

In proviso to sub-section (1) of Section 309 of the Code, for the words, figures and letters "section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D", the words, figures and letters "section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 354E, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E, section 376F, section 509, section 509A or section 509B" shall be substituted.

Amendment of

Section 327.

In sub-section (2) of the section 327 of the Code, for the words, figures and letters "or an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code", the words, figures, letters and punctuations "sexual herassment, outraging modesty of woman or an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 354E, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E, section 376F, section 509, section 509A or section 509B of the Indian Penal Code" shall be substituted.

Amendment of First Schedule.

In First Schedule to the Code, under the heading "1.- OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE, 1860"-

(a) In the entries relating to Section 211, the following entries shall be added, namely:-

Section	Offence	Punishment	Cognizable or	Bailable or	By what Court
(1)	(2)	(3)	non-cognizable (4)	on-bailable (5)	triable (6)
***	If offence charged be punishable under Ss. 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 354E, 376B, 376C, 376F, 509, 509A or 509B.	Imprisonment not less tha 3 years bu which ma exted t 5 years and fine.	t y o	Bailable	Magistrate of the first class.

(b)	In the entries relating to Section 354, the following entries shall be added, namely:-

Section	Offence	Punishment	Cognizable	Bailable	By what
			or	or	Court
(1)	(2)	(3)	on-cognizable (4)	non-bailable (5)	triable (6)
	If committed by relative of the woman.	Imprisonment not less than 2 years but which may extend to 7 years and fine	Cognizable	Non- Bailable	Magistrate of the first class.

(c) After the entries relating of Section 354D, the following shall be inserted, namely:-

Section	Offence	Punishment	Cognizable	Bailable	By what
			or	or	Court
(1)	(2)		non-cognizable	non-bailable	triable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
354E	Liability of person present who fails to prevent the commission of offence	Imprisonment upto 3 years or fine or both.		Bailable	Any Magistrate.
	under Ss. 354, 354A, 354B, 354C or354D.				

(d) After the entries relating of Section 376E, the following shall be inserted, namely:-

Section	Offence	Punishment	Cognizable	Bailable	By what
			or	or	Court
		1	non-cognizable	non-bailable	triable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
376F	Liability of person incharge of any work place and others to give information about offence.	Imprisonment upto 3 years and fine.	Cognizable	Non- Bailable	Magistrate of first class.

(e)	After the entries	relating to Sect	tion 509, the fo	ollowing shall	be inserted,
Section	Offence	Punishment	Cognizable or	Bailable or	By what
(1)	(2)	(3)	non-cognizable (4)	non-bailable (5)	Court triable (6)
509A	Sexual harassment by relative.	Rigorous imprisonment not less than 1 year but which may extend upto 5 years and fine.	Cognizable	Non- Bailable	Magistrate of first class.
509B	Sexual harassment by electronic modes.	Rigorous imprisonment not less than 6 months but which may extend upto 2 years and fine.	Cognizable	Non- Bailable	Magistrate of first class.

CHAPTER-IV Amendment of the Indian Evidence Act, 1872

After section 114A of the Indian Evidence Act, the following shall be inserted, namely:-

Insertion of new Section 114B.

114B. Presumption as to offences committed under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 509, section 509A or section 509B of the Indian Penal Code, 1860.—When the question is whether a person has committed an offence under Section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 509, section 509A, or section 509B of the Indian Penal Code and if the victim deposes before the court that she has been subjected to sexual harassment or her modesty was outraged or she was disrobed or she was stalked or her privacy was intruded or she was sexually harassed by any means, as the case may be, the court may, unless contrary is proved, presume that such offence has been committed by that person.